न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बइजलास श्रीमती शकुंतला चौधरी, R.A.S

वादी

1.छोटूसिंह पुत्र अर्जुनसिंह निवासी अणगौर तह0 सुमेरपुर
2.सुनिल कुमार गर्ग पुत्र मदनलालजी गर्ग जाति अग्रवाल निवासी डी 402/408 रिको हाउसिंग बस्ती आबूरोड
3.भंवरसिंह पुत्र फूलसिंह निवासी अणगौर तह0 सुमेरपुर
4.व्रजपालसिंह राठौड पुत्र नारायणसिंह राठौड जाति राजपूत निवासी अणगौर तह0 सुमेरपुर
5.रामेश्वरसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत निवासी अणगौर तह0 सुमेरपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. वरदसिंह पुत्र केसरसिंह जाति राजपूत निवासी बादला तह0 शिवगंज
2.राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रसिंह देवडा

उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 03/2023

दिनाक 02.08.2024

–:निर्णयः–

इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री क्रमांक/कोर्ट/2024/336 दिनाक 31.05.2024 की अनुपालना में तहसीलदार शिवगंज ने जरिये पंत्राक/रीडर/2024/371 दिनाक 09.07.2024 से वादग्रस्त भूमि मौजा बादला पटवार हल्का बादला तहसील शिवगंज के **खसरा नम्बर 81/5 रकबा 0.8094 हैक्टयर** भूमि का विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया जिसका वादी अधिवक्ता ने अवलोकन कर बंटवाड प्रस्ताव स्वीकृत करने हेतु अपनी सहमति पेश की गई।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यों के परिणाम स्वरूप वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानों तथा मौके व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का वाद पक्षकारों के हक हिस्सा के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा तैयार कर पेश किया जो वाद पक्षकारों का हक हिस्सा अनुसार होने से स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा पेश बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक निर्णय डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

आज दिनाक 02.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.04 10:57:40 IST
Reason: SelfAttested

(शकुंतला चौधरी)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

दिनांक 02.08.2024

क्रमांक/कोर्ट/2024/ 538
प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार, शिवगंज।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

फाईनल डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बईजलास श्रीमती शकुंतला चौधरी, R.A.S

वादी		प्रतिवादीगण
1.छोटूसिंह पुत्र अर्जुनसिंह निवासी अणगौर तह0 सुमेरपुर 2.सुनिल कुमार गर्ग पुत्र मदनलालजी गर्ग जाति अग्रवाल निवासी डी 402/408 रिको हाउसिंग बस्ती आबूरोड 3.भंवरसिंह पुत्र फूलसिंह निवासी अणगौर तह0 सुमेरपुर 4.व्रजपालसिंह राठौड पुत्र नारायणसिंह राठौड जाति राजपूत निवासी अणगौर तह0 सुमेरपुर 5.रामेश्वरसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत निवासी अणगौर तह0 सुमेरपुर	**बनाम**	1. वरदसिंह पुत्र केसरसिंह जाति राजपूत निवासी बादला तह0 शिवगंज 2.राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रसिंह देवडा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद प्रकरण सं0 –03/2023
दिनाक 02.08.2024

वादी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार शिवगंज द्वारा जरिये पंत्राक/कोर्ट/2024/371 दिनाक 09.07.2024 से वादग्रस्त भूमि मौजा बादला पटवार हल्का बादला तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 81/5 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि का विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया जिसका वादी अधिवक्ता को अवलोकन करवाने पर सहमत होने से वादी का वाद पत्र विरूद्व प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानों के तहत स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार शिवगंज को **मौजा बादला** पटवार हल्का बादला तहसील शिवगंज के **खसरा नम्बर 81/5 कुल रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि** का बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा बरंग प्रदर्शित अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद व राजस्व नक्शे मे तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत बटंवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जाएगा पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनाक 02.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(शकुंतला चौधरी)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

मुद्दई	रूपया/पै..	मुद्दायलाह	रूपया/पैसे
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर मुतफरीक बाबतइजराय हुक्मनामा मीजान	–शून्य–	स्टाम्प वकालतनामा ... बाबतइजराय हुक्मनामा मीजान	–:शून्य:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.04 10:57:40 IST
Reason: SelfAttested

क्रमांक/कोर्ट/2024/ 439 दिनांक 02.08.2024

प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार, शिवगंज।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)